

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

नामांकन हेतु आवेदन-पत्र

(आवेदन-पत्र छात्र स्वच्छ अक्षरों में स्वयं भरें)

प्रति,

कुलसचिव,
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)

महोदय/महोदया,

निवेदन है कि मैं उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय में अपना नाम अंकित करवाना चाहता/चाहती हूँ। मेरा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में नामांकन नहीं हुआ है, इस हेतु निर्धारित शुल्क भेज रहा/रही हूँ।

इस विश्वविद्यालय में महाविद्यालयीन / अमहाविद्यालयीन / पूर्व छात्र / छात्रा के रूप में नामांकन क्र

.....है।

नामांकन शुल्क - 40.00

अप्रवासन शुल्क - 60.00

30 सितम्बर के बाद तथा सत्र के अन्दर प्रस्तुत आवेदन के साथ रु. 20/-

विलम्ब शुल्क देय होगा। इसके बाद आवेदन प्रस्तुत करने पर विलम्ब शुल्क रु.50/-

अतिरिक्त देय होगा।

विवरण निम्नानुसार है:-

1. पूरा नाम (हिन्दी में)
2. अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में नाम
3. पिता का नाम
4. माता का नाम
5. जन्म तिथि (हायर सेकण्ड्री अंकसूची)
6. छ.ग. में निवास कब से कर रहे हैं
7. प्रस्तावित परीक्षा का नाम
8. पिछली परीक्षा का विवरण जो उत्तीर्ण की है, कक्षा सत्र
अनुक्रमांक विश्वविद्यालय / विद्यालय

हाई स्कूल/हायर सेकण्ड्री सर्टिफिकेट की सत्यापित अंकसूची अनिवार्य रूप से संलग्न करे एवं प्रस्तावित परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता देने वाली अंकसूची की सत्यापित प्रति संलग्न करे। छ.ग. के बाहर के बोर्ड या विश्वविद्यालय से आने वाले छात्र को विश्वविद्यालय से जारी पात्रता प्रमाण-पत्र, गैप प्रमाण-पत्र (यदि आवश्यक हो) के साथ मूल प्रवजन प्रमाण-पत्र भी जमा करना होगा, (समस्त अंकसूची अभिप्रमाणित हो) तथा अप्रवासन शुल्क रु. 60.00 जमा करना होगा।

धर का स्थायी पता:-

.....
.....

वर्तमान पता

.....
.....
.....

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम एवं पिता का नाम, छात्र/छात्रा स्वयं भरें)

श्री/श्रीमती/कुमारी

पिता का नाम

नामांकन किया गया, नामांकन अंक..... हैं

कुलसचिव
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विभाग / महाविद्यालय कार्यालय के लिए

विद्यार्थी द्वारा अपने प्रपत्र में अंकित किया गया विवरण मेरी जानकारी के अनुसार ठीक है। प्रमाण-पत्र, जिसके आधार पर प्रवेश दिया गया है, मैंने स्वयं देखे हैं और उसकी भलीभांति जांच कर ली है। इस विद्यार्थी ने (परीक्षा का नाम) परीक्षा सत्र में बोर्ड/वि.वि. से उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण की है।..

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि वि.वि. से प्राप्त अन्य बोर्ड/वि.वि. परीक्षाओं की समकक्षता सूची के आधार पर यह कक्षा में प्रवेश की पात्रता रखता/रखती है।

विद्यार्थी को महाविद्यालय में तिथि को प्रवेश दिया गया है। छ.ग. वि.वि. अधिनियम 22वां 1973 में वर्णित नियमों का पालन किया गया है। विलम्ब से प्रवेश देने के पूर्व कुलपति जी से वि.वि. के पत्र क्रमांक दिनांक के द्वारा अनुमति प्राप्त कर ली है।

विभागाध्यक्ष (वि.वि.शि.वि.)/प्राचार्य के हस्ताक्षर
विभाग / महाविद्यालय की मुहर

टीप:-

- 1 इस नामांकन-पत्र में लिखा गया विद्यार्थी का नाम उच्चतर माध्यामिक शाला का प्रमाण-पत्र (स्कूल सर्टिफिकेट) अथवा वि.वि./बोर्ड द्वारा निर्गमित प्रमाण-पत्र दिये गए अनुसार होना चाहिए।
- 2 नाम परिवर्तन हेतु प्रत्याशी हलफनामा व शुल्क जमा कर अनुमति प्राप्त करें।
- 3 इस आवेदन-पत्र को छात्र/छात्रा स्वयं भरें एवं अग्रेषित करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर होना आवश्यक है।
- 4 छ.ग. बोर्ड को छोड़कर अन्य बोर्ड एवं वि.वि. से आए छात्रों को प्रवजन प्रमाण-पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- 5 प्रत्येक छात्र का नाम, नामांकन आवेदन-पत्र नामावली पत्रक में अंकित होना अनिवार्य है।
- 6 प्रत्येक छात्र को हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी की अंक सूची (सत्यापित प्रति) संलग्न करना अनिवार्य है।

